राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.1(1)वित्त/अंकेक्षण/2019 जयपुर, दिनांक 05/02/2019

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : वर्ष 2017–18 के लिए विनियोग व वित्त लेखों में समाविष्ट मांगों (Grants)में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में लेखाशीर्षवार उत्तर/टिप्पणी भिजवाने तथा अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

वर्ष 2017–18 के लिए राज्य के विनियोग व वित्त लेखे राजस्थान विधानसभा में दिनांक **23–01–2019** को उपस्थापित किये जा चुके हैं, जिनकी प्रतियाँ निदेशक, वित्त (बजट) विभाग के पत्र क्रमांक प–7(7)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 दिनांक 29–01–2019 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। यदि प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो तो कृपया वित्त विभाग **(बजट अनुभाग)** से प्राप्त करने की व्यवस्था करावें।

जैसा कि आपको विदित है उक्त लेखों में समाविष्ट मांगों (Grants) में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में उत्तर/टिप्पणी प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को उक्त लेखों के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से **तीन माह की अवधि** के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवायी जानी हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जनलेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2017–18 में समाविष्ट आपके विभाग/अधीनस्थ विभागों से संबंधित समस्त मांगों (Grants) में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में लेखाशीर्षवार उत्तर/टिप्पणी निर्धारित समयावधि तीन माह **(दिनांक 22–04–2019 तक)** में प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त 30 प्रतियों में राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर/टिप्पणी की चार प्रतियाँ प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान तथा एक–एक प्रति वित्त (बजट) विभाग एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)राजस्थान,जयपुर।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सेल) राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेवबसाईट पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त शासन सचिव